

प्रेस नोट

थाना बिलसण्डा पुलिस ने तमंचे के बल पर लूट करने वाले व्यक्ति को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराधो की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम मे श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीसलपुर के कुशल निर्देशन मे व थानाध्यक्ष के कुशल नेतृत्व मे लूट करने वाले इकबाल को लूटे हुये माल तथा अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया । दिनांक 30.05.2022 को समय करीव 12.00 वजे को श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री कृष्ण निवासी ग्राम मीरपुर हीरपुर थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत मनरेगा कार्य कर घर वापस जा रही थी जैसी ही राजकुमारी रामपुर वसन्त में स्थित छोटी नहर के पास पहुंची तो एक व्यक्ति काली लाल रंग की मोटर साईकिल ग्लेमर पर सवार होकर आया और राजकुमारी उपरोक्त को रोक कर मारपीट कर तमंचे के बल पर उसके टोप्स लूट लिये तथा शोर मचाने पर गांव के काफी लोग आ गये जिस पर उस व्यक्ति के द्वारा अवैध तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया सूचना पाकर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गयी तथा उस व्यक्ति को मय अवैध तमंचा व लूटे हुये टोप्स के साथ पकड़ लिया। जिसने अपना नाम इकबाल पुत्र इसरत बेग निवासी गढी इब्राहिमपुर थाना पसगवाँ जिला लखीमपुर खीरी व हाल पता मोहल्ला कटिया टोला थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर बताया । अभियुक्त इकबाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 270/2022 धारा 323/394/307/411 व मु0अ0सं0 272/22 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया । अभियुक्त इकबाल उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

इकबाल पुत्र इसरत बेग निवासी ग्राम गढी इब्राहिमपुर थाना पसगवा जिला लखीमपुर खीरी हाल पता मोहल्ला कटिया टोला थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर।